भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
10.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1744 का उत्तर

कोलकाता मेट्रो का एम्स कल्याणी तक विस्तार

1744. श्री पार्थ भौमिक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैरकपुर के लोगों को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए कोलकाता मेट्रो को एम्स कल्याणी तक विस्तारित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): कोलकाता में मेट्रो परियोजना 1972 में शुरू की गई थी। तब से, कमीशन की गई मेट्रो का ब्यौरा इस प्रकार है:

अवधि	कमीशन की गई मेट्रो
1972 से 2014 (42 वर्ष)	28 किलोमीटर
2014 से 2025 (11 वर्ष)	45 किलोमीटर

वर्तमान में, कोलकाता और उसके आसपास कुल 52 किलोमीटर लंबाई के 4 मेट्रो गलियारे हैं, जिनमें से 20 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण और राज्य सरकार से संबंधित जनोपयोगिताओं के स्थानांतरण संबंधी मुद्दों के कारण लंबित हैं। इन गलियारों की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) जोका - एस्प्लनेड (14 कि.मी.):- जोका - माझेरहाट (7.74 कि.मी.) को कमीशन कर दिया गया है और माझेरहाट से एस्प्लनेड (6.26 कि.मी.) तक का शेष कार्य शुरू कर दिया गया है। बहरहाल, कार्य की प्रगति निम्नलिखित समस्याओं के कारण प्रभावित है:

क्र. सं.	स्थान	मुद्दे
1.	खिदिरपुर मेट्रो स्टेशन	• उपयोगिता स्थानांतरण और सड़क यातायात विपथन, 837 वर्गमीटर स्थायी और राज्य सरकार (कोलकाता सशस्त्र पुलिस) की 1,702 वर्गमीटर अस्थायी भूमि की आवश्यकता है। इस भूमि का प्रस्ताव 24.08.2020 को राज्य सरकार को भेजा गया था। • उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की गई। • अत्यधिक विचार-विमर्श के बाद, राज्य सरकार ने अंततः लगभग 5 वर्ष बाद जुलाई 2025 में ही अनुमोदन प्रदान कर दिया।
2.	डॉ. बी.सी. रॉय मार्केट	• एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए, रक्षा विभाग की भूमि पर बी.सी. राय मार्केट में 528 अनधिकृत दुकानों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करना अपेक्षित है। • फरवरी, 2022 में इन दुकानों के अस्थायी/स्थायी स्थानांतरण के लिए राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इन अनधिकृत दुकानों के अस्थायी स्थानांतरण के लिए दुकानें भी रेलवे द्वारा बनाई गई हैं। • राज्य सरकार से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य लोक निर्माण विभाग के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है। • यह मामला 3.5 वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

(ii) न्यू गरिया-दम दम एयरपोर्ट (32 कि.मी.): न्यू गरिया - बेलेघाटा (9.8 किमी) को कमीशन कर दिया गया है और बेलघाटा से दम दम एयरपोर्ट (22.2 कि.मी.) तक का शेष कार्य शुरू हो गया है। बहरहाल, निम्नलिखित समस्याओं के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है:

क्र. सं.	स्थान	मुद्दे
1.	चिंगरीघाटा क्रॉसिंग (बेलघाटा -	• चिंगरीघाट क्रॉसिंग पर वायडक्ट सेगमेंट लॉन्चिंग के लिए सड़क के दोनों किनारों पर (प्रत्येक रात 8 घंटे) प्रत्येक तीन रातों के लिए अस्थायी यातायात डायवर्जन अपेक्षित है।

	गौर किशोर घोष स्टेशनों के बीच)	• यह प्रस्ताव दिसंबर, 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तुत किया गया था। • कोलकाता ट्रैफिक पुलिस की इच्छानुसार डायवर्जन रोड को पहले ही फरवरी 2025 में तैयार की जा चुकी है। • इसके पश्चात्, अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए विभिन्न राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस अधिकारियों के साथ कई बैठकें की जा चुकी हैं। • लगभग 10 महीनों के बाद भी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii) नोआपाड़ा-बारासात (18 कि.मी.): नोआपाड़ा - जय हिन्द एयरपोर्ट (6.77 कि.मी.) कमीशन कर दिया गया है और जय हिन्द एयरपोर्ट से माइकल नगर तक का कार्य प्रगति पर है। बहरहाल, न्यू बैरकपुर से बारासात (7.5 कि.मी.) तक कार्य को भूमि अधिग्रहण और राज्य प्राधिकारियों द्वारा अतिक्रमण के मुद्दों के कारण रोक दिया गया है।

क्र. सं.	स्थान	मुद्दे
1.	न्यू बैरकपुर से बारासात	• इस खंड में भूमि अधिग्रहण (23,000 वर्ग मीटर) और अत्यधिक अतिक्रमणों (1,277 झोपड़ियाँ, 764 दुकानें) को हटाना शामिल है। • यह मामला अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हल नहीं किया गया है।

(iv) वराहनगर - बैरकपुर - दक्षिणेश्वर (14.5 कि.मी.): वराहनगर - दक्षिणेश्वर (2 कि.मी.) को कमीशन किया जा चुका है और वराहनगर से बैरकपुर (12.5 कि.मी.) तक शेष कार्य राज्य सरकार की प्राधिकरणों द्वारा संरेखण में लंबित उपयोगिता स्थानांतरण के कारण रोका गया है। ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	स्थान	मुद्दे
1.	वराहनगर से बैरकपुर	• मेट्रो रेलवे, आरवीएनएल और कोलकाता नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार 2011 में बी.टी. रोड के साथ मूल संरेखण पर सहमति व्यक्त की गई थी। • समझौता ज्ञापन के अनुसार, मौज़ूदा पाइपलाइन को राज्य सरकार द्वारा नई 64 इंच व्यास पाइपलाइन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। • इस पाइपलाइन का स्थानांतरण 2012 में पूरा किया गया था। • बहरहाल, पश्चिम बंगाल सरकार से अभी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

वराहनगर-बैरकपुर खंड को स्वीकृति प्रदान की गई है, और इसके संरेखण का अनुमोदन पश्चिम बंगाल सरकार के पास लंबित है।

इसके अलावा, कल्याणी सियालदाह-रानाघाट खंड पर भारतीय रेल नेटवर्क का एक मौजूदा स्टेशन है। बहरहाल, बैरकपुर से कल्याणी तक नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन कम यातायात अनुमान के कारण परियोजना को शुरु नहीं किया जा सका।

पश्चिम बंगाल

हाल के वर्षों में बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजना और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹4,380 करोड़ प्रति वर्ष
2025-26	₹13,955 करोड़ (3 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली 67,991 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 4,402 किलोमीटर लंबाई की 42 परियोजनाएं (12 नई लाइनें, 04 आमान परिवर्तन और 26 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 1,702 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2025 तक 23,410 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया जा चुका है। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	12	1,032	337	11,368
आमान परिवर्तन	04	1,201	854	3,673
दोहरीकरण/बहु-पथन	26	2,169	511	8,370
कुल	42	4,402	1,702	23,410

पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	रामपुरहाट-मुरारई नई लाइन के वस्तुपरक संशोधन के साथ रामपुरहाट-मंदार हिल नई लाइन (159 किलोमीटर)	1500
2	अजीमगंज-मुर्शिदाबाद नई लाइन (7 किलोमीटर)	164
3	बर्धमान-कटवा आमान परिवर्तन (52 किलोमीटर)	696
4	अहमदपुर-कटवा आमान परिवर्तन (52 किलोमीटर)	440
5	पाँशकुड़ा-खड़गपुर दोहरीकरण (45 किलोमीटर)	408
6	लालगोला-जियागंज दोहरीकरण (23 किलोमीटर)	124
7	कृष्णनगर-बेथुयाडहरी दोहरीकरण (28 किलोमीटर)	152
8	नबद्वीपधाम-पाटुली दोहरीकरण (22 किलोमीटर)	170
9	बेथुयाडहरी-प्लासी दोहरीकरण (23 किलोमीटर)	132
10	अम्बिका कालना-नबद्वीपधाम दोहरीकरण (23 किलोमीटर)	145
11	नलहाटी-सागरदिघि दोहरीकरण (26 किलोमीटर)	193
12	तमलुक जंक्शन- बासुलिया सुताहाटा दोहरीकरण (24 किलोमीटर)	245
13	प्लासी-जियागंज दोहरीकरण (54 किलोमीटर)	234
14	अजीमगंज-मणिग्राम दोहरीकरण (21 किलोमीटर)	150
15	न्यू कूचबिहार-गुमानीहाट दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	330
16	न्यू कूचबिहार-सामुकतला रोड दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	445
17	सैंथिया-तारापीठ तीसरी लाइन (22 किलोमीटर)	186
18	आमबाड़ी फालाकाटा - न्यू मैनागुड़ी दोहरीकरण (37 किलोमीटर)	843
19	बैंडेल-बोइंची-तीसरी लाइन (31 किलोमीटर)	546
20	बोइंची-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन (26 किलोमीटर)	424
21	बाज़ार सौ-अजीमगंज जंक्शन दोहरीकरण (42 किलोमीटर)	343

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
22	सागरदिघी-मालदा टाउन दोहरीकरण (25 किलोमीटर)	248
23	खड़गपुर-नारायणगढ़ तीसरी लाइन (24 किलोमीटर)	270
24	मनिग्राम-निमतिता दोहरीकरण (24 किलोमीटर)	713
25	पुरुलिया-कोटशिला दोहरीकरण (36 किलोमीटर)	393

पश्चिम बंगाल में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं, जिन्हें शुरू किया गया है, का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	तारकेश्वर-बिष्णुपुर नई लाइन (83 किलोमीटर)	1542
2	सिवोक-रंगपो नई लाइन (44 किलोमीटर)	11973
3	बालुरघाट-हिली नई लाइन (30 किलोमीटर)	1209
4	कालियागंज-बुनियादपुर नई लाइन (33 किलोमीटर)	1147
5	कटिहार-कुमेदपुर और कटिहार-मुकुरिया दोहरीकरण (65 किलोमीटर)	943
6	खड़गपुर-आदित्यपुर तीसरी लाइन (132 किलोमीटर)	3250
7	नारायणगढ़-भद्रक तीसरी लाइन (153 किलोमीटर)	2136
8	चांडिल-अनारा-दामोदर तीसरी लाइन (121 किलोमीटर)	1932
9	कालीपहाड़ी-बख्तरनगर 5वीं लाइन (18 किलोमीटर)	350
10	डानकुनि-बाल्टीकुरी तीसरी और चौथी लाइन (18 किलोमीटर)	429
11	मुरारई-बड़हरवा तीसरी लाइन (49 किलोमीटर)	935
12	राणाघाट-कृष्णानगर सिटी तीसरी लाइन (26 किलोमीटर)	446

13	अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन (57 किलोमीटर)	1630

पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2022-23, 2023-24, 2024-25) और चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2025-26 के दौरान, पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले कुल 97 अदद सर्वेक्षण कार्यों (10 नई लाइन, 87 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 4004 कि.मी. है। कुछ महत्वपूर्ण सर्वेक्षण जो शुरू किए गए हैं, इस प्रकार हैं::-

क्र. सं.	परियोजना	लंबाई (किलोमीटर में)
1	खड़गपुर-भद्रक चौथी लाइन	173
2	खड़गपुर-टाटानगर चौथी लाइन	134
3	चांडिल-अनारा-बर्नपुर चौथी लाइन	125
4	मालदा टाउन - कुमेदपुर तीसरी और चौथी लाइन	61
5	गंगा नदी पर पुल सहित गुमानी - मालदा टाउन की तीसरी और चौथी लाइन	163

पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण रुका हुआ है। पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

कुल अपेक्षित भूमि	4,564 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	1250 हेक्टेयर (27%)
अधिग्रहण किए जाने हेतु शेष भूमि	3,314 हेक्टेयर (73%)

भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत भूमि हेक्टेयर में)	अधिग्रहण किए जाने हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)	राज्य को भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1	नबद्वीपघाट-नबद्वीपधाम नई लाइन परियोजना	106.71	0	106.71	50
2	सैंथिया पर बाईपास	22.28	0	22.28	0
3	नैहाटी-रानाघाट तीसरी लाइन	13.33	0	13.33	1.3
4	सिवोक-रंगपो नई लाइन	134.62	127.54	7.08	7.98
5	कलियागंज-बुनियादपुर नई लाइन	167.804	0	167.804	0
6	केनिंग-बागनखली नई लाइन	18.36	0	18.36	0
7	चांडिल-अनारा-बर्नपुर तीसरी लाइन	8.15	0	8.15	0
8	आद्रा-सांका-रुकनी दोहरीकरण	5.14	0	5.14	0
9	कालीपहाड़ी-बख्तररनगर पांचवीं लाइन	14.55	0	14.55	0
10	अनारा में रुकनी से अनारा स्टेशन तक रेल फ्लाईओवर	34.90	0	34.90	0
11	गौरीनाथधाम छोर से पुरुलिया तक रेल फ्लाईओवर	34.12	0	34.12	0
12	चंदनपुर-शक्तिगढ़ चौथी लाइन	5	0	5	0

इसके अलावा, तारकेश्वर-बिष्णुपुर (83 किलोमीटर) नई लाइन परियोजना हुगली जिले में पड़ने वाले गोघाट- कामारपुकुर खंड में कानून-व्यवस्था के मुद्दों के कारण रुकी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों ने भाबादीघी तालाब के निकट लगभग 900 मीटर लंबाई में कार्य रोक दिया था। यह कार्य वर्ष 2016 से रुका हुआ है।

देशप्राण - नंदीग्राम (18.5 किलोमीटर) लाइन को 2009-10 में ₹121.44 करोड़ की लागत से स्वीकृति दी गई थी। पूरी परियोजना पूर्वी मिदनापुर जिले में आती है। भूमि अधिग्रहण में समस्याओं के कारण परियोजना का कार्य शुरु नहीं किया जा सका और इसे स्थगित रखा गया। अप्रैल 2023 में इस कार्य को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया। बहरहाल, देशप्राण से 5.0 किमी तक भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण कानून-व्यवस्था की समस्याओं के कारण पूरा नहीं किया जा सका। चूंकि देशप्राण कनेक्टिंग स्टेशन है, इसलिए परियोजना को कमीशन करने के लिए इस भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनुमानित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का विस्तार
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गईं मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

*****